

परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जैती-पीपली मोटर रोड से सिल्टा चापड़ मोटर मार्ग (लम्बाई 10.250 कि०मी०) का निर्माण।

एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3/2007-एफ०सी०, दिनांक 05/02/2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन०पी०वी० की देयता निम्नानुसार है-

1. ईको-क्लास श्रेणी —
2. हरियाली का घनत्व 0.30
3. एन०पी०वी० की दर प्रति हैक्टेयर-रुपया 939000=00
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल- 4.7862 हैक्टेयर
5. कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि- रुपया 4494242=00

21/11/2009
चम्पावत

वन क्षेत्राधिकारी देवीधर
देवीधर
चम्पावत वन प्रभाग

45
चम्पावत वन प्रभाग
चम्पावत

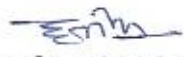
परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जैती-पीपली मोटर रोड से सिल्टा चापड़ मोटर मार्ग (लम्बाई 10.250 कि०मी०) का निर्माण। ?

एन०पी०वी० की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में माननीय उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग की मांग के अनुसार किया जायेगा।


सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, (पी०एम०जी०एस०वाई०)
लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा


J.E


अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, (पी०एम०जी०एस०वाई०)
लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा


वन क्षेत्राधिकारी देवीपुर
देवीपुर
वन विभाग

C/S

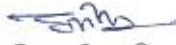
प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग
चम्पावत

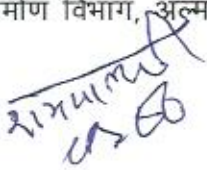
चैक लिस्ट प्रमाण-पत्र

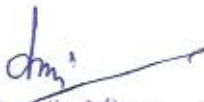
प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जैती-पीपली रोड से सिल्टा चापड़ मोटर मार्ग (लम्बाई 10.250 कि०मी०) हेतु प्रस्तावित वन भूमि के हस्तान्तरण प्रस्ताव में चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण-पत्र लगाये गये हैं।


सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, (पी०एम०जी०एस०वाई०)
लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा


J. E.


अधिशाली अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, (पी०एम०जी०एस०वाई०)
लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा


S. K. Singh


जिलाधिकारी देवीपुर
देवीपुर
चम्पावत वन प्रभाग

2/3

जिलाधिकारी देवीपुर
चम्पावत वन प्रभाग
चम्पावत

फैक्ट सीट

1- परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जैती-पीपली रोड से सिल्टा चापड़ मोटर मार्ग (लम्बाई 10.250 कि०मी०) का निर्माण।

2- प्रभावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)-

आरक्षित वन भूमि	-	0.9702
सिविल एवं सोयम वन भूमि	-	3.6810
वन पंचायत भूमि	-	0.135
<u>निजी भूमि</u>	-	<u>2.3888</u>
<u>योग</u>	-	<u>7.175</u>

3- प्रस्तावक विभाग का नाम- सिंचाई खण्ड, (पी०एम०जी०एस०वाई०) लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा।

4- वन प्रभाग का नाम-

चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत

5- प्रस्ताव बाइंडिंग किया गया है-

हाँ

6- प्रस्ताव में विषय सूची भरी गई है-

हाँ

7- क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग-1,2 व 3 के सभी

बिन्दुओं की सूचना भरी गई है-

हाँ

8- क्या प्रारूप में वॉछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है-

हाँ

9- प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है-

10- प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची/प्रमाण-पत्र संलग्न है-

हाँ

11- बांज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक

का स्थलीय प्रमाण-पत्र संलग्न है-

आवश्यकता नहीं है।

12- प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें

कम करने का क्या प्रयास किया गया है-प्रभावित वृक्षों को न्यूनतम रखने हेतु विभिन्न संरेखनों सहित अनेक विकल्पों पर विचार किया गया, जिसमें प्रस्तावित संरेखन में वृक्षों की संख्या 88 न्यूनतम रही।

13- समरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले

वृक्षों की सूची संलग्न है-

हाँ

14- क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है-

हाँ

15- क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है-

हाँ

16- क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है-

हाँ

- 17- प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर/परियोजना के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है- हाँ
- 18- क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है- नहीं
- 19- प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है- नहीं
- 20- क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है हाँ
- 21- प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है- (यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्व में जारी भारत सरकार की प्रति संलग्न करें)- नहीं
- 22- क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग-अलग रंगों से भरा गया है- हाँ
- 23- यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है- हाँ
- 24- क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है- नहीं
- 25- यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थित वर्णित करते हुए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण विवरण संलग्न किया जाय। आवश्यकता नहीं है।
- 26- सड़क निर्माण हेतु तलाशी गई अन्य सम्भावनायें/वैकल्पिक संरेखन मानचित्र पर दर्शाये गये हैं- हाँ
- 27- वैकल्पिक संरेखनों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाय)-स्वीकृत संरेखन नम्बर-01 के अलावा एक वैकल्पिक संरेखन का चयन किया गया, इस संरेखन के अन्तर्गत हेयर पिन (H.P.) बँडों व वृक्षों की संख्या अधिक आने के कारण, इसे निरस्त कर प्रस्तावित संरेखन नम्बर-01 को ही चुना गया।
- 28- लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है
- (5 हैक्टेयर से अधिक प्रकरणों में लागू होगा।)- लागू नहीं
- 29- मानचित्र व बार चार्ट में एकरूपता है- हाँ
- 30- मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है- हाँ
- अथवा**
- मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र संलग्न है- हाँ
- 31- राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है- हाँ
- 32- क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियाँ मूल में संलग्न है- हाँ
- 33- यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न है नहीं/लीज पर नहीं दी जानी है।
- 34- वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न हैं- हाँ

35-क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है-

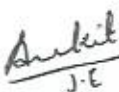
हाँ

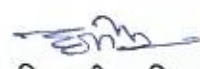
36- क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण पत्र संलग्न हैं-

हाँ

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त, फैक्ट शीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है समस्त प्रमाण पत्र/सूचना संलग्न कर दी गई है।


सहायक अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा


J-E


अधिरासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा